राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप 4 अ) विभाग
(एनएसएस प्रकोष्ठ)

वर्ष 2013–14 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन हेतु महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य महाविद्यालयों को नियमित गतिविधियों/विशेष शिविर के आयोजनार्थ अनुदान जारी किया जा रहा है।

जारी अनुदान का विवरण

क्र.	संस्था का नाम	आवंटित ईकाई	नियमित कार्यक्रम हेतु अनुदान	विशेष शिविर हेतु अनुदान	कुल राशि
286	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफोरमेशन एण्ड मैनेजमेंट, मानसरोवर, जयपुर	1	22500/-	22,500/-	45000/-

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को सचिवालय शाखा द्वारा जारी किया गया बैंक ड्रॉफ्ट / ~~बैंकर्स चैक~~ संख्या 731061 रूपयें 45000/- दिनांक 24.10.13 इसके साथ सलंग्न कर भिजवाया जा रहा है। कृप्या पावती रसीद अविलम्ब भिजवाये जाने का श्रम करें।

नोट– यह अनुदान 2013–14 से संबंधित ही है पूर्व वर्षो में किये गये व्ययों में इस राशि का समायोजित नहीं किया जाये।

भवदीय,

(जी.एन. घसिया)
राज्य सम्पर्क अधिकारी

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4अ) विभाग

वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाई एवं स्वयं सेवकों का आवंटन निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	संस्था का नाम	आवंटित ईकाई सं.	स्वयंसेवक सं.
290	International School of Infor Management (ISIM), Mansarover, Jaipur	1	100

(जी.एन. प्रसिद्ध) 13/7/12
राज्य सम्पर्क अधिकारी

—: आवश्यक दिशा निर्देश :—

1. 20 अगस्त, 2012 तक साख्यिकी सूचना प्रपत्र 1 व 2, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी का विवरण, गोद लिया गया गॉव/बस्ती, वर्गवार नामांकन तथा पूर्व इकाईयों के पिछले वर्ष का व्यय विवरण प्राप्त नहीं होने पर इस वर्ष का अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
2. सभी प्रकार के प्रपत्र विवरण, निर्देश, कार्यक्रम संबंधित सूचना, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा सुप्रलब्ध करायी गयी मार्ग निर्देशिका में उपलब्ध है। उक्त सभी सूचनायें अद्योहस्ताक्षरकर्ता ,राज्य समन्वयक कॉलेज शिक्षा, जयपुर , क्षैत्रीय कार्यालय, प्रादेशिक केन्द्र, जयपुर को समय पर उपलब्ध नहीं करवायें जाने पर प्रमाण पत्र एवं अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा एवं आवंटित ईकाई तुरन्त प्रभाव से समाप्त करदी जावेगी।
3. सभी ईकाईयों को अनुदान का डी.डी. रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजा जायेगा इसके लिए व्यक्तिशः सम्पर्क नहीं करें।
4. विशेष शिविर का आयोजन गोद लिये गये गॉव/बस्ती में ही नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष शिविरों की आयोजन तिथि एवं स्थान की सूचना संबंधित अधिकारियों को 10 दिवस पूर्व सूचित करें। विशेष शिविर आयोजित नहीं किये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी को पॉकेट अलाउन्स देय नहीं होगा। विशेष शिविरों का आयोजन दीपावली/शीतकालीन अवकाशों को समायोजित करते हुए सुनिश्चित करें।
5. कार्यक्रमों का आयोजन एनएसएस कलैण्डर एवं दिशानिर्देशो के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. निजी महाविद्यालयों को अनुदान तभी जारी किया जायेगा जब वर्ष 2011–12 के लेखों की सनदी लेखाकार (सी.ए.) से प्रमाणित प्रति इस विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
7. उन्हीं व्याखाताओं को कार्यक्रम अधिकारी बनाया जाये जो समाज सेवा के कार्यों में रूचि रखते हों । कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रीय सेवा योजना के मेंन्युअल के अनुसार करें। नियुक्ति एवं बदलने का अनुमोदन राज्य सम्पर्क अधिकारी से प्राप्त करें। नियुक्ति के पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करें। जिन कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु निर्देश जारी किये जावे उनके द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय की इकाई अनुदानित के स्थान पर स्ववित्तपोषी इकाई में परिवर्तित कर दी जावेगी।
8. सभी महाविद्यालय अपना सम्पूर्ण पता मय पिनकोड नम्बर सहित अवगत करावें। साथ ही प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी का फोन नं./मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवायें।

राज्य सम्पर्क अधिकारी
13/7/12

SLO/NSSCELL/JRR

Received 04/08/12

Mr VW/Dr Sumedha
8/8

1.

वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाई एवं स्वयं सेवकों का आवंटन निम्न प्रकार से है

क्र.सं.	संस्था का नाम	आवंटित ईकाई सं.	स्वयंसेवक सं.
291	International School of Info & Management (ISIM) Mansarovar, Jaipur	1	100

(जी.एल. घासिया)
राज्य सम्पर्क अधिकारी
3/8/11

–: आवश्यक दिशा निर्देश :–

1. 20 अगस्त, 2011 तक साख्यिकी सूचना प्रपत्र 1 व 2, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी का विवरण, गोद लिया गया गॉव/बस्ती, वर्गवार नामांकन तथा पूर्व इकाईयों के पिछले वर्ष का व्यय विवरण प्राप्त नहीं होने पर इस वर्ष का अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
2. सभी प्रकार के प्रपत्र विवरण, निर्देश, कार्यक्रम संबंधित सूचना, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी मार्ग निर्देशिका में उपलब्ध है। उक्त सभी सूचनायें अद्योहस्ताक्षरकर्ता ,राज्य समन्वयक कॉलेज शिक्षा, जयपुर , क्षैत्रीय कार्यालय, प्रादेशिक केन्द्र, जयपुर को समय पर उपलब्ध नहीं करवायें जाने पर प्रमाण पत्र एवं अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा एवं आवंटित ईकाई तुरन्त प्रभाव से समाप्त करदी जावेगी।
3. सभी ईकाईयों को अनुदान का डी.डी. रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजा जायेगा इसके लिए व्यक्तिशः सम्पर्क नहीं करें।
4. विशेष शिविर का आयोजन गोद लिये गये गॉव/बस्ती में ही मैन्युअल के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष शिविरों की आयोजन तिथि एवं स्थान की सूचना संबंधित अधिकारियों को 10 दिवस पूर्व सूचित करें। विशेष शिविर आयोजित नहीं किये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी को पॉकेट अलाउन्स देय नहीं होगा। विशेष शिविरों का आयोजन दीपावली/शीतकालीन अवकाशों को समायोजित करते हुए सुनिश्चित करें।
5. कार्यक्रमों का आयोजन एनएसएस कलैण्डर एवं दिशानिर्देशो के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. निजी महाविद्यालयों को अनुदान तभी जारी किया जायेगा जब वर्ष 2010–11 के लेखों की सनदी लेखाकार (सी.ए.) से प्रमाणित प्रति इस विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
7. उन्हीं व्याखाताओं को कार्यक्रम अधिकारी बनाया जावे जो समाज सेवा के कार्यों में रूचि रखते हों । कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रीय सेवा योजना के मॅन्युअल के अनुसार करें। नियुक्ति एवं बदलने का अनुमोदन राज्य सम्पर्क अधिकारी से प्राप्त करें। नियुक्ति के पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करें। जिन कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु निर्देश जारी किये जावे उनके द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय की इकाई अनुदानित के स्थान पर स्ववित्तपोषी इकाई में परिवर्तित कर दी जावेगी।

Received
17/08/2011

Mr V.G / Dr Sumedha
17/8

राज्य सम्पर्क अधिकारी
3/8/11

SLO/NSSCELL/JPR

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप 4 अ) विभाग

क्रमांक प. 2(9)शिक्षा/4अ/10 जयपुर, दिनांक: ~~24~~ 29.06.10

−: कार्यालय आदेश :−

वर्ष 2010−11 के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाईयों का अंतिम आवंटन **परिशिष्ठ−अ** में वर्णित संस्थाओं को तुरन्त प्रभाव से किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना संलग्न प्रपत्र 1 व 2 में दिनांक 31.07.10 तक आवश्यक रूप से भेजें अन्यथा इकाई तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

आज्ञा से,

29.6.10
राज्य सम्पर्क अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है:−

1. निजी सचिव, अवर सचिव, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर राजस्थान।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रा.केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, जयपुर।
5. राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
6. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित इकाई के कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति कर निर्देशित करें कि नामांकन का कार्य पूर्ण कर संलग्न प्रपत्र 1 व 2 दिनांक 31.07.10 तक इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित कर दें, अन्यथा अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
7. समन्वयक,रा.से.यो., +2स्तर, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान को भेजकर लेख है कि वर्ष 2010−11 के लिए आवंटित 790 इकाईयों का आवंटन कर प्रपत्र 1 व 2 की इकजाई सूचना मय विद्यालय सूची दिनांक 31.07.10 मे इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
8. लेखा−शाखा प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

29.6.10
राज्य सम्पर्क अधिकारी

Mr. V. G.
16/07/10.

वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाई एवं स्वयं सेवकों का आवंटन परिशिष्ठ–'अ' के अनुसार संबंधित संस्थाओं में निम्न प्रकार किया गया है :–

क्र.सं.	मूल सूची का क्रमांक	संस्था का नाम	आवंटित ईकाई सं.	स्वयंसेवक सं.
287	287	आई.एम. आई.एम.ए. महा0, मानसरोवर, जयपुर	1	100

राज्य सम्पर्क अधिकारी

—: आवश्यक दिशा निर्देश :—

1. 31 अगस्त, 2010 तक साख्यिकी सूचना प्रपत्र 1व 2, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी का विवरण, गोद लिया गया गॉव/बस्ती, वर्गवार नामांकन तथा पूर्व इकाईयों के पिछले वर्ष का व्यय विवरण प्राप्त नहीं होने पर इस वर्ष का अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
2. सभी प्रकार के प्रपत्र विवरण, निर्देश, कार्यक्रम संबंधित सूचना, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी मार्ग निर्देशिका में उपलब्ध है। उक्त सभी सूचनायें राज्य समन्वयक कॉलेज शिक्षा, जयपुर , क्षैत्रीय कार्यालय, प्रादेशिक केन्द्र, जयपुर एवं इस विभाग को समय पर उपलब्ध नहीं करवायें जाने पर प्रमाण पत्र एवं अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा एवं अनुदानित इकाई को स्ववित्तपोषी इकाई में परिवर्तित कर दिया जावेगा।
3. सभी ईकाईयों को अनुदान का डी.डी. रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजा जायेगा इसके लिए व्यक्तिशः सम्पर्क नहीं करें।
4. विशेष शिविर का आयोजन गोद लिये गये गॉव/बस्ती में ही मेन्युअल के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष शिविरों की आयोजन तिथि एवं स्थान की सूचना संबंधित अधिकारियों को 10 दिवस पूर्व सूचित करें। विशेष शिविर आयोजित नहीं किये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी को पॉकेट अलाउन्स देय नहीं होगा। विशेष शिविरों का आयोजन दीपावली/शीतकालीन अवकाशों में समायोजित करते हुए सुनिश्चित करें।
5. कार्यक्रमों का आयोजन आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा जारी कलैण्डर एव दिशानिर्देशो के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें।
6. निजी महाविद्यालयों को अनुदान तभी जारी किया जायेगा जब वर्ष 2009–10 के लेखों की सनदी लेखाकार (सी.ए.) से प्रमाणित प्रति इस विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
7. उन्हीं व्याखाताओं को कार्यक्रम अधिकारी बनाया जावे जो समाज सेवा के कार्यों में रूचि रखते हों । कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रीय सेवा योजना के मॅन्युअल के अनुसार 3 वर्ष के लिए करें। नियुक्ति एवं बदलने का अनुमोदन राज्य सम्पर्क अधिकारी/राज्य समन्वयक से प्राप्त करें। नियुक्ति के पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करें। जिन कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु निर्देश जारी किये जावे उनके द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय की इकाई अनुदातित के स्थान पर स्ववित्तपोषी इकाई में परिवर्तित कर दी जावेगी।

राज्य सम्पर्क अधिकारी

वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाई एवं स्वयं सेवकों का आवंटन परिशिष्ठ–अ के अनुसार संबंधित संस्थाओं में निम्न प्रकार किया गया है :–

क्र.सं.	मूल सूची का क्रमॉक	संस्था का नाम	आवंटित ईकाई सं.	स्वयंसेवक सं.
	297	International School of Info. & Management (SIM) Mansarovar, Jaipur	1	100

(डॉ. सागर मल)
राज्य सम्पर्क अधिकारी

—: आवश्यक दिशा निर्देश :—

1. 15 सितम्बर, 2009 तक साख्यिकी सूचना प्रपत्र 1 व 2, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी का विवरण गोद लिया गया गॉव/बस्ती, वर्गवार नामांकन तथा पिछले वर्ष का व्यय विवरण प्राप्त नहीं होने पर इस वर्ष का अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा।(प्रपत्र की प्रति सलंग्न है)
2. सभी प्रकार के प्रपत्र विवरण, निर्देश, कार्यक्रम संबंधित सूचना, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी मार्ग निर्देशिका में उपलब्ध है। उक्त सभी सूचनायें राज्य समन्वयक कॉलेज शिक्षा, जयपुर , क्षैत्रीय कार्यालय, प्रादेशिक केन्द्र, जयपुर एवं इस विभाग को समय पर उपलब्ध नहीं करवायें जाने पर प्रमाण पत्र एवं अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
3. सभी ईकाईयों को अनुदान का डी.डी. रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजा जायेगा इसके लिए व्यक्तिश: सम्पर्क नहीं करें।
4. विशेष शिविर का आयोजन गोद लिये गये गॉव/बस्ती में ही मैन्युअल के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष शिविरों की आयोजन तिथि एवं स्थान की सूचना संबंधित अधिकारियों को 10 दिवस पूर्व सूंचित करें। विशेष शिविर आयोजित नहीं किये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी को पॉकेट अलाउन्स देय नहीं होगा। विशेष शिविरों का आयोजन दीपावली/शीतकालीन अवकाशों को समायोजित करते हुए सुनिश्चित करें।
5. कार्यक्रमों का आयोजन आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा जारी कलेण्डर एवं दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. निजी महाविद्यालयों को अनुदान तभी जारी किया जायेगा जब वर्ष 2009–10 के लेखों की सनदी लेखाकार (सी.ए.) से प्रमाणित प्रति इस विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
7. उन्हीं व्याखाताओं को कार्यक्रम अधिकारी बनाया जावे जो समाज सेवा के कार्यों में रूचि रखते हों । कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रीय सेवा योजना के मैन्युअल के अनुसार 3 वर्ष के लिए करें। नियुक्ति एवं बदलने का अनुमोदन राज्य सम्पर्क अधिकारी/राज्य समन्वयक से प्राप्त करें। नियुक्ति के पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करें।

17/9/09

Mr. V.G., Pls. revert back latest by 18/9/09
16/9/09

राज्य सम्पर्क अधिकारी

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप 4 अ) विभाग
राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय

क्रमांक प. 2(9)शिक्षा/4अ/08 जयपुर,दिनांक: 12-6-08.

: कार्यालय आदेश :

वर्ष 2008–09 के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाईयों का तदर्थ आंवटन 'परिशिष्ठ–अ' में वर्णित संस्थाओं को किया जाता है। यदि किसी संस्था को आंवटित ईकाई संख्या कम करवाना अथवा ईकाई निरस्त करवाना हो तो इस विभाग को दिनांक 31.07.08 तक सूचित करें। किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो तदर्थ आवंटित ईकाईयों को अंतिम रूप से आवंटित ईकाई मान लिया जायेगा।

(डॉ. वी.के. वशिष्ठ)
राज्य सम्पर्क अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अवर सचिव, युवा मामले एवं खेलकुद मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. कार्यक्रम सलाहकार, रा.से.यो., शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, रा.से.यो., प्रादेशिक केन्द्र, एस.बी.12, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
7. राज्य समन्वयक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8. कार्यक्रम समन्वयक,...
9. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि सलंग्न पत्रानुसार आवंटित ईकाई के कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन का कार्य पूर्ण कर प्रपत्र 1 व 2 दिनांक 10 अगस्त, 08 तक इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित कर दें।
10. कार्यक्रम समन्वयक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि +2 स्तर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए आवंटित 780 ईकाईयों का अपने स्तर पर आवंटन कर विद्यालयों की सूची दिनांक 10 अगस्त, 08 तक इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य सम्पर्क अधिकारी

वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाई एवं स्वयं सेवकों का आवंटन परिशिष्ठ–अ के अनुसार संबंधित संस्थाओं में निम्न प्रकार किया गया है :–

क.सं.	मूल सूची का क्रमांक	संस्था का नाम	आवंटित ईकाई सं.	स्वयंसेवक सं.
270		इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इन्फोर्मेशन एण्ड मैनेजमेंट (ISIM) मानसरोवर, जयपुर	1	100

(डॉ. बी.के. वशिष्ठ)
राज्य सम्पर्क अधिकारी

–: आवश्यक दिशा निर्देश :–

1. 10 अगस्त, 2008 तक सांख्यिकी सूचना प्रपत्र 1व 2, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी का विवरण, गोद लिया गया गॉव/बस्ती, वर्गवार नामांकन तथा पिछले वर्ष का व्यय विवरण प्राप्त नहीं होने पर इस वर्ष का अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
2. सभी प्रकार के प्रपत्र विवरण, निर्देश, कार्यक्रम संबंधित सूचना, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी मार्ग निर्देशिका में उपलब्ध है। उक्त सभी सूचनायें राज्य समन्वयक कॉलेज शिक्षा, जयपुर , क्षैत्रीय कार्यालय, प्रादेशिक केन्द्र, जयपुर एवं इस विभाग को समय पर उपलब्ध नहीं करवायें जाने पर प्रमाण पत्र एवं अनुदान जारी किया जाना संभव नहीं होगा।
3. सभी ईकाईयों को अनुदान का डी.डी. रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजा जायेगा इसके लिए व्यक्तिशः सम्पर्क नहीं करें।
4. विशेष शिविर का आयोजन गोद लिये गये गॉव/बस्ती में ही मैन्युअल के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष शिविरों की आयोजन तिथि एवं स्थान की सूचना संबंधित अधिकारियों को 10 दिवस पूर्व सूचित करें। विशेष शिविर आयोजित नहीं किये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी को पॉकेट अलाउन्स देय नहीं होगा। विशेष शिविरों का आयोजन दीपावली/शीतकालीन अवकाशों को समायोजित करते हुए सुनिश्चित करें।
5. कार्यक्रमों का आयोजन आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा जारी कलैण्डर एवं दिशानिर्देशो के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें ।
6. निजी महाविद्यालयों को अनुदान तभी जारी किया जायेगा जब वर्ष 2007–08 के लेखों की सनदी लेखाकार (सी.ए.) से प्रमाणित प्रति इस विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
7. उन्हीं व्याखाताओं को कार्यक्रम अधिकारी बनाया जावे जो समाज सेवा के कार्यों में रूचि रखते हों । कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रीय सेवा योजना के मैन्युअल के अनुसार 3 वर्ष के लिए करें। नियुक्ति एवं बदलने का अनुमोदन राज्य सम्पर्क अधिकारी/राज्य समन्वयक से प्राप्त करें। नियुक्ति के पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करें।

राज्य सम्पर्क अधिकारी